न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 41/2025

श्री सांवर लाल चौधरी पुत्र रंगलाल चौधरी जाति जाट निवासी छान तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 03.06.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आन–लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1–मेरे द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के सम्मुख सांवरलाल चौधरी पुत्र श्री रंग लाल चौधरी नाम से मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के कार्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छान के डॉक्टर के विरुद्ध में लंबित पड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रक्रिया प्रारंभ करवाने हेतु निवेदन किया था उक्त परिवाद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक निर्देशित किया गया है अथवा नहीं अगर हां तो पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।

2–RR501183520IN रजिस्टर एडी के माध्यम से सांवरलाल चौधरी के नाम से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को एक पत्र भेजा गया था उक्त पत्र का डिस्पैच नंबर एवं पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 748 दिनांक 12.05.2025 व 875 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 507 दिनांक 20.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में उनके पत्र कमांक 391 दिनांक 04.04.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक